न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान: सरदार सिंह बनाम: सुल्तान सिंह

किस्म मुकदमा: धारा-225 (इजराय) अपील संख्या: 2016/00128 (54)/2016

अभिभाषक अपीलांट: श्री भूरीलाल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट:

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.4.26	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, भवानीमण्डी के निर्णय व अंतिम डिक्री 3.12.2009 की पालना हेतु प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.6.2015 के विरूद्ध पेश की गयी है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.12.2009 के विरूद्ध भी एक अन्य अपील प्रकरण संख्या 2014/00053 से पेश की गयी है, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.4.2026 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.12.2009 खारिज कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.12.2009, न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 17.4.26 से खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.12.2009 की पालना हेतु प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.6.2015 का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। इस कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निष्फल हो जाने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालयः– भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा

अपील /टी0ए0 /15/झालावाड़

सरदारसिंह आ0 रामसिंह जाति राजपूत निवासी बणी तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान

——— अपीलार्थी

बनाम

1– सुल्तानसिंह आ0 नाथू

2– गोरधनसिंह आ0 नाथू

3– कालीबाई आ0 नाथू

4– फतेहसिंह आ0 रामसिंह

5– मनोहरबाई बेवा चन्दरसिंह

6– कालीबाई आ0 चन्दरसिंह

अकवाम राजपूत निवासीयान बणी तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान

7– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़ (राजस्थान)

—— प्रत्यर्थीगण

अपील बनाराजी निर्णय अन्तिम डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी प्रकरण सं. 133/2008
उन्वान नाथू बनाम सरदारसिंह
अन्तिम डिक्री दिनांक 3.12.2009 में की पालना में निष्पादन आदेश दिनांक 24/6/2015 को पारित की गई ।
अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

मान्यवर,

निवेदन है कि माननीय न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.9.2004 के अनुसरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बॅटवारा प्रस्ताव तलब कर अंतिम डिक्री पारित की व 24/6/15 को डिक्री का निष्पादन कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार में उचित न्याय शुल्क पर अपील निम्न कारणों से पेश कर रहा है :––

अपील के आधारः–

1– अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय तथा विधि के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित तथा पत्रावली संग्रहसार के विपरित होने से आदेश निरस्त होने योग्य हैं।

2– अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जोत के बॅटवारें से संबधित सुसगंत प्रावधानों का अध्ययन किये बगैर निर्णय व डिक्री पारित की हैं।

निरन्तर 2 पर...